प्रेसनोट –
दिनांक- 11.09.2026
जनपद मऊ ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा शुक्रवार की परेड में प्रतिभाग कर दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 11.09.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा पुलिस लाइन मऊ में साप्ताहिक शुक्रवार की परेड के अवसर पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान महोदय द्वारा उच्च कोटि का अनुशासन, वर्दी का टर्नआउट, शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाए रखने के दृष्टिगत फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि सदैव मानसिक एवं शारीरिक रूप से तत्पर रहें। दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखे। जिससे किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटा जा सके।

इस दौरान ड्रोन कैमरा, फॉरेन्सिक वैन, चारपहिया/दोपहिया पीआरवी वाहनों के साफ-सफाई, हूटर, लाइट, एमडीटी, मेडिकल किट, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी राइट इक्विपमेंट आदि को चेक किया गया तथा पीआरवी कर्मियों को गंभीर व महिला संबंधित घटनाओं की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंचकर की जाने वाली प्राथमिक कार्यवाही, घटनास्थल को सुरक्षित करने हेतु क्राइम सीन किट का सही तरीके से प्रयोग करने व रिस्पॉन्स टाइम, जीपीएस परसेंटेज आदि में सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं एवं परिसर की साफ सफाई इत्यादि का गहन निरीक्षण किया गया। महोदय ने परिसर की समग्र व्यवस्था, बैरक और मेस में भोजन व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण का जायजा लिया। साथ ही कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ पुलिस सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन श्री सोम प्रकाश बर्मा, प्रतिसार निरीक्षक अरूण कुमार सिंह व भारी संख्या में पुलिस अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

प्रेसनोट –
दिनांक- 11.09.2026
थाना घोसी, जनपद मऊ ।

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 11.09.2026 को जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 07.09.2026, वाद सं0- डी202315510002814 सरकार बनाम विपुल, अंतर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त विपुल पुत्र उदय भान निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ को 06 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया।

जिला बदर अभियुक्त का विवरण

1. विपुल पुत्र उदय भान निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0- 09/2023 धारा- 457/380/411 भा0द0वि0 थाना घोसी जनपद मऊ।

2. मु0अ0सं0- 11/23 धारा 411/413/414 भा0द0वि0 ।

3.मु0अ0सं0- 12/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट ।

4. 3(1) गुण्डा अधिनियम ।

जिलाबदर करने का दिनांक

1.दिनांक – 11.09.2026

प्रेसनोट –

दिनांक- 11.09.2026

थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ।

थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 35,000/- (पैतीस हजार रूपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 11.09.2026 को यूपीआई के माध्यम से पीड़ित/आवेदक जाहिद पुत्र सलाउद्दीन निवासी वलीदपुर भीरा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 35,000/- (पैतीस हजार रूपया) MRM PORTAL के माध्यम से थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं ।

प्रेसनोट –
दिनांक- 11.09.2026
जनपद मऊ ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 11.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई ।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त गजानन्द पंडित पुत्र सुभाष निवासी ग्राम उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

प्रेसनोट –
दिनांक- 11.09.2026
जनपद मऊ ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 11.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 32 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1430 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 578 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 03 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को

हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेसनोट –
दिनांक- 11.09.2026
थाना कोपागंज, जनपद मऊ।

गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त मो0 खालिद अंसार द्वारा अपराध से अर्जित धन अपने नाम बनवाया गया एक मंजिला मकान अनुमानित कीमत लगभग - 53,89,372 (तिरपन लाख नवासी हजार तीन सौ बहत्तर रूपये) के धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत किया गया कुर्की

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में संगठित अपराधी व माफिया तत्वो द्वारा विधि की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत संगठित अपराध कर अवैध रुप से अर्जित किये धन से क्रय किये गये चल अचल सम्पत्ति के विरूद्ध यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में धारा 14(1) के तहत कुर्क/ जब्तीकरण की कार्यवाही अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल निर्देशन में, थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह थाना कोपागंज टीम द्वारा दिनांक 11.09.2026 को थाना घोसी जनपद मऊ पर पंजीकृत मु0अ0स0- 534/2025 धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश दिनांक 13.08.2026, वाद संख्या 2252/2026, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D202615510002252 के अनुपालन में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में निर्गत आदेशों के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी घोसी उक्त सम्पत्ति के नियुक्त रिसीवर/संरक्षक तहसीलदार घोसी श्री अनीश सिंह मय क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो की उपस्थित में अभियुक्त मो0 खालिद अंसार पुत्र स्व0 हाजी अंसार निवासी करीमुद्दीनपुर थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने नाम से बनवाया गया भवन, जिसका विवरण निम्नवत है :- मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 419, आवासीय रकबा 2640 वर्गफीट, आबादी श्रेणी 6(2) में स्थित एक मंजिला मकान, जिसकी चौहद्दी उत्तर: सस्ता, दक्षिण: रिक्त भूमि नदीम अख्तर, पूरब: मकान असउ, पश्चिम: रास्ता है कुल किमत रूपये 53,89,372 (तिरपन लाख नवासी हजार तीन सौ बहत्तर रूपये) को अन्तर्गत धारा

14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गयी।

कुर्क/जब्तीकरण माल का विवरण

मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 0419, आवासीय रकबा 2640 वर्गफीट, आबादी श्रेणी 6(2) में स्थित एक मंजिला मकान, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :- उत्तर: सस्ता, दक्षिण: रिक्त भूमि नदीम अख्तर, पूरब: मकान असउ, पश्चिम: रास्ता, जिसकी वर्तमान कुल किमत रूपये 53,89,372 (तिरपन लाख नवासी हजार तीन सौ बहत्तर रूपये) है।

नोट - जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध "अपराध से अर्जित सम्पत्ति पर प्रहार" की नीति के अन्तर्गत भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी एवं कठोर विधिक कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।

प्रेसनोट –
दिनांक- 11.09.2026
जनपद मऊ।

***ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्तगण को 03 वर्ष का कारावास की सजा व 07 – 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित* ।**

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0- 72/2013 धारा- 308, 323, 504, 506 भादवि थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 11.09.2026 को मा0 न्यायालय एएसजे -1 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा गाली गलौज व मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी अभियुक्तगण क्रमशः 1.संजय यादव पुत्र शिवचंद यादव व 2.लालसा देवी पत्नी संजय यादव निवासीगण ग्राम औरंगाबाद डीहवा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को 03 वर्ष का कारावास की सजा का दंड व 07- 07 हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रेसनोट –
दिनांक- 11.09.2026
जनपद मऊ।

***ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गोली मारकर हत्या कर देने वाले 02 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व क्रमशः 11,000/- व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित* ।**

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0 984/2012 धारा 302,120बी भादवि0 व 7 CLA एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 11.09.2026 को मा0 न्यायालय एएसजे -2 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने वाले दोषी अभियुक्तगण क्रमशः 1.धर्मेंद्र कुमार पुत्र ललित नारायण निवासी आजमगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को आजीवन कारावास की सजा का दंड व 11,000/- रूपये का अर्थदंड व 2.अजीत यादव पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका यादव निवासी ताहिरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को आजीवन कारावास की सजा का दंड व 10,000/- रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रेसनोट –

दिनांक- 11.09.2026

जनपद मऊ।

***ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अवैध गांजा (मादक पदार्थ) बेचने वाले 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 3,000/- रू0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित* ।**

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0 402/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 11.09.2026 को मा0 न्यायालय एस.पी.एल. (जे) एससी/एसटी कोर्ट मऊ द्वारा अवैध गांजा (मादक पदार्थ) बेचने वाले दोषी अभियुक्त गब्बर राम पुत्र संपत्ति राम निवासी ग्राम गुर गुशी थाना मरदह जनपद गाजीपुर को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 3000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।